


# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

5	फर्द अहकाम	
	<p>मु.नं 05/17 तारीख रजु 10-1-17</p> <p>उमवान-बाबूलाल बनाम धनदयाप्र घौं</p> <p>दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा/इनमेडेटीफार्म</p> <p>वादी की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा भव. ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा / इनमेडेटीफार्म किया। प्रस्तुत जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्रार कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 30-1-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">               उपजिला कलेक्टर              टोडाभीम (करौली)         </p>	<p>139-42 12-1-17</p>
30-1-17	<p>वादी वकील उप. / प्रतिवादीगण की ओर से श्री प्रदन मोहन शर्मा भव. ने उपस्थित दर्ज कपी / आशापी सुनवाई विधी पर वकालतनामा व जबर पेश करते दिनांक 22-2-17 को पेश हो।</p>	<p>1 नं 4 क</p>
	<p>22-2-17- वकलाय उप. / प्रतिवादीगण ता 4 की ओर से श्री प्रदन मोहन शर्मा भव. ने वकालतनामा पेश किया। शामिल भिसल किया। पारने जबाब दि 8-3-17 को पेश हो।</p>	
8-3-17	<p>वकलाय उप. / जबर पेश करते दिनांक 28-3-17 को पेश हो।</p>	
28-3-17	<p>वकलाय उप. / जबर पेश करते दिनांक 18-4-17 को पेश हो।</p>	


# प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली  
पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार  
दिनांक 23.8.19 को पेश हो।

23-8-19

वादी वकील ने प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब कर Not  
Press में खारिज करने के लिए प्रस्तुत किया। इस पर  
पत्रावली तलब की गई। वादी वकील ने यह कथन किया  
कि वादी इस मुकदमा को हागे पलाना नहीं चाहते  
हैं, मुकदमा Not-Press में खारिज कर दिया जावे। अतः  
यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

Not-Press  
23-8-19  
15-8-19